न. 2(1) सीएसी/ईएनएफ–।। 12013/एफ एस एस ए आई भाग–।

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार समिति की

12वीं बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार समिति की 12वीं बैठक गुलमोहर हॉल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 1 अगस्त, 2014 को आयोजित की गई थी। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक–1** में है।

श्री बिमल कुमार दुबे, निदेशक (प्रवर्तन), एफ एस एस ए आई ने केन्द्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की 12वीं बैठक के सभी सदस्यों और उनके प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और श्री डी के सामंतरे, सी ई ओ, एफ एस एस ए आई को उद्घाटन भाषण के लिए मंच पर आमंत्रित किया।

सी ई ओ, एफ एस एस ए आई द्वारा उद्घाटन भाषण

श्री सामंतरे, सी ई ओ, एफ एस एस ए आई ने सभी सीएसी सदस्यों का स्वागत किया। सी ई ओ ने राज्यों को अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र बनाने के लिए बधाई दी। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने नामित अधिकारियों, खाद्य संरक्षा अधिकारी को नियुक्त किया है और संचालन समिति और अपीलीय अधिकरण को राज्यों में गठित किया है। हालांकि, उन्होंने अपनी चिंता पूर्णकालिक नामित अधिकारियों की नियुक्ति पर व्यक्त की। यह उल्लेख किया गया कि 23 राज्यों ने एफएलआरएस ऑनलाइन प्रणाली लागू कर ली गई है और शेष राज्य जल्द ही अगले साल से सूची में शामिल हो जाएंगे। सी ई ओ, एफ एस एस ए आई ने लाइसेंस और पंजीकरण में असाधारण प्रदर्शन के लिए गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे अग्रणी राज्यों को बधाई दी और उल्लेख किया कि दमन और दीव, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार, नागालैंड, दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मेघालय जैसे राज्यों ने एक साल के समय में बड़ी सफलता हासिल की है। लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी लाइसेंस और पंजीकरण का आंकड़ा कम रहा है जिसमें असम, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी चिंता के क्षेत्र हैं।

उन्होंने आगे कहा कि अभी तक, एफ एस एस ए आई लाइसेंस और पंजीकरण के अंतर्गत खाद्य व्यापार के क्षेत्र में 80 प्रतिशत का कारोबार कर चुका है जो ये साबित करता है कि एफएसएस अधिनियम, 2006 ने देश भर में खाद्य व्यवसाय संचालकों के बीच गहरी पकड़ बना ली है।

भविष्य की कार्रवाई की योजनाओं के बारे में बात करते हुए, सी ई ओ, एफ एस एस ए आई ने भोजन को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने के महत्व और जरूरत पर बल दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह से, खाद्य निगरानी पर भी ध्यान देना चाहिए और एफ एस एस ए आई के लिए वर्ष 2014 "निगरानी वर्ष" के रूप में नामित हो। सी ई ओ, एफ एस एस ए आई ने हाउस को सूचित किया कि निगरानी की योजना का मसौदा तैयार है और जल्द ही परिचालित किया जाएगा। प्रत्येक राज्य अपने राज्य की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार निगरानी योजना को अनुकूलित कर सकते हैं।

सी ई ओ, एफ एस एस ए आई ने केन्द्र और राज्य में काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर बल दिया। उन्होंने खाद्य उद्योग में नवीनतम प्रगति के अनुसार कार्यक्रम विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार के डी ओ, एफ एस ओ और अन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एफएससी को राज्य में प्रशिक्षण संस्थानों की पहचान करनी है। एफ एस एस ए आई देश में जागरूकता लाने और फैलाने के लिए, खाद्य संरक्षा, सुरक्षित और स्वस्थ भोजन और खाद्य निगरानी पर कार्यशालाओं/सेमिनारों का संचालन कर सकता है। उपभोक्ता संगठन इसमें एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।

यह उल्लेख किया गया था कि खाद्य व्यवसाय संचालकों का प्रशिक्षण भी चिंता का विषय है। सलाहकार के अधीन चयनित राज्यों के एफएससी और उपभोक्ता संगठनों और उद्योग ने समिति के सदस्य के रूप में ये सुझाव दिया गया था कि इस तरह के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम सहित एक पूरा मॉडल को विकसित करना होगा। छोटे खाद्य व्यवसाय संचालकों के प्रशिक्षण के लिए, खाद्य उद्योग के सीएसआर पहल से निधि का उपयोग किया जा सकता है। समिति उद्योग अभ्यावेदन के परामर्श के बाद इस संबंध में अपने सुझाव शामिल करेगी।

उन्होंने सूचित किया है कि हाल के दिनों में, एफ एस एस ए आई ने अधिनियम के समग्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

1. कोडेक्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ मानकों का तालमेल।
2. हमारे देश में विटामिन ए और डी की कमी एक गंभीर मुद्दा है और विटामिन ए और विटामिन डी के साथ विभिन्न व्यापक रूप से सेवन खाद्य वस्तुओं का पुष्टिकरण शुरू किया गया है।
3. राज्य/सार्वजनिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आधारभूत आकलन/अन्तर का अध्ययन किया गया है और रिपोर्ट के संकलन की प्रक्रिया का कार्य शुरू हो गया है। प्रयोगशालाओं के उन्नयन और नए प्रयोगशालाओं की स्थापना के संबंध में प्रयोगशालाओं के लिए तकनीकी मार्गदर्शन के लिए समितियां पहले से ही गठित की जा चुकी हैं।
4. लोक विश्लेषक परीक्षा आयोजित की गई थी जिससे राज्य की प्रयोगशालाएं ज़रूरत पड़ने पर खाद्य विश्लेषक के रूप में उन्हें भर्ती कर सकती हैं।

अंत में, श्री सामंतरे, सी ई ओ, एफ एस एस ए आई, ने एफएसएस अधिनियम को आगे लाने में उनके संयुक्त प्रयास के लिए सभी का आभार व्यक्त किया और जोर दिया कि कड़ी मेहनत अधिनियम के कार्यान्वयन और खाद्य संरक्षा की दिशा में उपभोक्ता के रवैये में जबरदस्त परिवर्तन लाएगी।

उद्घाटन भाषण के बाद श्री के. चंद्रमौली, अध्यक्ष, एफ एस एस ए आई ने मुख्य भाषण दिया। अपने भाषण में, उन्होंने ऑनलाइन लाइसेंस और पंजीकरण के क्षेत्र में सफलता की प्रशंसा की और इस क्षेत्र में अधिक उत्साहपूर्ण प्रयास की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि एफ एस एस ए आई ने अब तक 30 लाख लाइसेंस और पंजीकरण जारी किए है और अधिनियम के कार्यान्वयन को निर्धारित करने की भावना को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों की सरकारों को धन्यवाद दिया। अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि भारत में किसी अन्य सरकारी कार्यक्रम में एफ एस एस ए आई की एफ एल आर एस प्रणाली की तरह एक बड़ी ऑनलाइन मौजूदगी नहीं है।

अध्यक्ष, एफ एस एस ए आई ने एफ एस एस ए आई द्वारा विटामिन ए और विटामिन डी को इकट्ठा करने की पहल की ओर सीएसी सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया जो अधिनियम को सुरक्षित भोजन से स्वस्थ भोजन की ओर ले जाएगा। एफ एस एस ए आई के सामने अधिनियम के प्रवर्तन को मानक सेटिंग के साथ विलय करने की चुनौती है और इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय मानकों को बदलकर प्राप्त किया जा सकता है। अध्यक्ष, एफ एस एस ए आई ने सतत जाँच के लिए निगरानी गतिविधियों को करने के लिए सभी राज्यों से अनुरोध किया और इस पर भी बल दिया कि इसको पारदर्शी तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि खाद्य संरक्षा के साथ–साथ स्कूलों में उच्च वसा, नमक और चीनी भोजन जैसे मुद्दों के प्रति जागरूकता अभियानों के माध्यम से सचेतता अभियान पर ध्यान देना चाहिए। अंत में, अध्यक्ष, एफ एस एस ए आई ने सी ई ओ, एफ एस एस ए आई को एफ एस एस ए आई में उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया और उनके अच्छे भविष्य की कामना की।

कार्यसूची 1 – सदस्यों द्वारा रुचि का प्रकटीकरण

सदस्यों ने रुचि के प्रकटीकरण का फॉर्म भरा और एफ एस एस ए आई प्रतिनिधियों को सौंप दिया।

कार्यसूची 2 – 7 मार्च 2014 को आयोजित सीएसी के ग्यारहवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

समिति ने 7 मार्च 2014 को आयोजित सीएसी के ग्यारहवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची 3 – पेमेंट गेटवे से संबंधित बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रस्तुति

श्री जे के दास, डीजीएम, और श्री सर्वेश गुप्ता, एजीएम, बैंक ऑफ बड़ौदा, ने सेंट्रल लाइसेंसिंग और आयात के मामले में एफएलआरएस और एफआईसीएस के साथ एकीकृत इंटरनेट पेमेंट गेटवे के संबंध में प्रस्तुति दी।

यह सूचित किया गया कि केरल राज्य ने पहले से ही बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) द्वारा दिए जाने वाला पेमेंट गेटवे अपनाया है, अन्य राज्य भी पेमेंट गेटवे प्रणाली को अपना सकते हैं जो एफएलआरएस के माध्यम से एक बहुत ही पारदर्शी और जवाबदेह लाइसेंस और पंजीकरण प्रणाली की सुविधा होगी। इस संबंध में, एक संदेश राज्यों को भेजा जाएगा। बीओबी के प्रतिनिधियों ने यह भी सूचित किया कि राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त, यदि चाहे तो वे बीओबी से इस संबंध में सीधे संपर्क कर सकते हैं।

कार्यसूची 4 – एफएसएस अधिनियम, 2006 का प्रवर्तन

श्री संजय गुप्ता, सहायक निदेशक (प्रवर्तन), एफ एस एस ए आई ने अधिनियम और नियमों के प्रवर्तन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपलब्ध खाद्य संरक्षा के बुनियादी ढांचे के बारे में डेटा प्रस्तुत किया।

यह उल्लेख किया गया कि कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु एवं राजस्थान में अभी तक अपीलीय अधिकरण गठित नहीं है। संबंधित राज्यों ने जवाब दिया है कि वे संबंधित माननीय उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

अध्यक्ष, एफ एफ एस ए आई संचालन समिति के महत्व के बारे में राज्यों से प्रभावित हुए और सभी राज्यों से का अनुरोध किया कि अपीलीय अधिकरण और संचालन समिति के निर्माण में तेजी लानी चाहिए।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त रिपोर्ट नीचे दर्शाई गई हैः

1. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

क) खाद्य संरक्षा आयुक्त, 3 डी ओ, 3 ए ओ और 18 एफ एस ओ अधिसूचित हैं।

ख) कोई खाद्य विश्लेषक अधिसूचित नहीं है।

ग) अभी तक 404 लाइसेंस एवं 4,768 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

घ) अपीलीय अधिकरण गठित है।

ङ) संचालन समितियां गठित हैं।

च) एक खाद्य जांच प्रयोगशाला गठित है जिसमें कोई खाद्य विश्लेषक नहीं है। अतः अनौपचारिक खाद्य नमूने जांचे जा रहे हैं जिनकी कोई कानूनी वैधता नहीं है।

2. असम

क) खाद्य संरक्षा आयुक्त, 5 डी ओ, 27 ए ओ, 16 वरिष्ठ एफ एस ओ, 26 एफ एस ओ, और 1 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित है।

ख) अभी तक 3412 लाइसेंस और 2021 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपीलीय अधिकरण गठित है।

घ) संचालन समिति गठित है।

ङ) एक राज्य खाद्य प्रयोगशाला गठित है।

3. चंडीगढ़

क) खाद्य संरक्षा आयुक्त, 1 डी ओ, 1 ए ओ और 3 एफ एस ओ अधिसूचित है।

ख) अभी तक 2824 लाइसेंस तथा 573 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपीलीय अधिकरण गठित है।

घ) संचालन समिति गठित है।

ङ) पंजाब और हरियाणा की राज्य खाद्य प्रयोगशाला को खाद्य विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है।

4. दिल्ली

क) खाद्य संरक्षा आयुक्त, 8 डी ओ, 15 एफ एस ओ, 11 ए ओ और 1 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित है।

ख) अभी तक 6481 लाइसेंस और 1693 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपीलीय अधिकरण गठित है।

घ) संचालन समिति गठित है।

ङ) एक एन ए बी एल प्रत्यायित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला गठित है।

5. गोवा

क) खाद्य संरक्षा आयुक्त, 2 डी ओ, 2 ए ओ, 11 एफ एस ओ और 2 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित है।

ख) अभी तक 2229 लाइसेंस और 14313 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपीलीय अधिकरण की स्थापना प्रक्रिया में है।

घ) संचालन समिति का गठन अभी तक नहीं किया गया है।

ङ) राज्य में एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला है।

6. गुजरात

क) खाद्य संरक्षा आयुक्त, 34 डी ओ, 30 ए ओ, 261 एफ एस ओ और 10 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित किया है।

ख) अभी तक 32,486 लाइसेंस और 95,867 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपीलीय अधिकरण गठित है।

घ) संचालन समिति गठित है।

ङ) नौ खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं अधिसूचित थी उनमें से 2 एन ए बी एल प्रत्यायित हैं।

7. हरियाणा

क) खाद्य संरक्षा आयुक्त, 21 डी ओ, 21 ए ओ, 12 एफ एस ओ और 3 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित हैं।

ख) अभी तक 3948 लाइसेंस और 8359 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपीलीय अधिकरण गठित है।

घ) संचालन समिति की स्थापना प्रक्रिया में है।

ङ) राज्य में 2 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं।

8. हिमाचल प्रदेश

क) खाद्य संरक्षा आयुक्त, 13 डी ओ, 10 ए ओ, 9 एफ एस ओ और 1 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित हैं।

ख) अभी तक 6406 लाइसेंस और 68188 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपीलीय अधिकरण गठित है।

घ) संचालन समिति गठित है।

ङ) राज्य में 1 खाद्य प्रयोगशाला है जो एन ए बी एल से प्रत्यायित नहीं है।

9. जम्मू एवं कश्मीर

क) खाद्य संरक्षा आयुक्त, 25 डी ओ, 22 ए ओ, 87 एफ एस ओ और 2 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित हैं।

ख) अभी तक 7990 लाइसेंस और 68748 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपीलीय अधिकरण गठित नहीं है।

घ) संचालन समिति गठित है।

ङ) राज्य में 2 खाद्य प्रयोगशालाएं हैं।

10. कर्नाटक

क) खाद्य संरक्षा आयुक्त, 21 डी ओ, 30 ए ओ, 68 एफ एस ओ और 5 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित हैं।

ख) अभी तक 25090 लाइसेंस और 102593 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपीलीय अधिकरण की स्थापना प्रक्रिया में है। उसके स्थान पर एक विशेष न्यायालय गठित है।

घ) संचालन समिति गठित नहीं है।

ङ) राज्य में पांच खाद्य प्रयोगशालाएं हैं।

11. केरल

क) खाद्य संरक्षा आयुक्त, 14 डी ओ, 14 ए ओ, 75 एफ एस ओ और 8 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित हैं।

ख) अभी तक 30675 लाइसेंस और 135388 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपीलीय अधिकरण की स्थापना प्रक्रिया में है।

घ) संचालन समिति गठित है।

ङ) राज्य में तीन खाद्य प्रयोगशालाएं हैं।

12. मध्य प्रदेश

क) खाद्य संरक्षा आयुक्त, 51 डी ओ, 184 एफ एस ओ, 51 ए ओ और 1 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित हैं।

ख) अभी तक 37362 लाइसेंस और 317933 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपीलीय अधिकरण गठित है, पीठासीन अधिकारी को नियुक्त किया जाना है।

घ) संचालन समिति गठित है।

ङ) राज्य में एक खाद्य प्रयोगशाला है।

13. महाराष्ट्र

क) खाद्य संरक्षा आयुक्त, 62 डी ओ, 78 ए ओ, 265 एफ एस ओ + 35 स्थानीय निकाय और 23 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित हैं।

ख) अभी तक 155467 लाइसेंस और 555357 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपीलीय अधिकरण गठित है।

घ) संचालन समिति गठित है।

ङ) राज्य में 16 अधिसूचित खाद्य जांच प्रयोगशालाएं हैं।

14. मेघालय

क) खाद्य संरक्षा आयुक्त, 1 उपायुक्त, 3 डी ओ, 7 ए ओ, 7 एफ एस ओ अधिसूचित हैं।

ख) अभी तक 1737 पंजीकरण और 1252 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपीलीय अधिकरण गठित है।

घ) राज्य एवं जिला स्तर पर संचालन समिति गठित है।

ङ) खाद्य विश्लेषक का पद रिक्त है।

15. नागालैंड

क) खाद्य संरक्षा आयुक्त, 11 डी ओ, 11 ए ओ, 8 एफ एस ओ और 1 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित हैं।

ख) अभी तक 280 लाइसेंस और 3110 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपीलीय अधिकरण गठित नहीं है।

घ) संचालन समिति गठित नहीं है।

ङ) एक खाद्य जांच प्रयोगशाला को अधिसूचित किया गया है।

16. ओडिसा

क) खाद्य संरक्षा आयुक्त, 37 डी ओ, 30 ए ओ और 25 एफ एस ओ अधिसूचित हैं।

ख) अभी तक 4722 लाइसेंस और 6877 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपीलीय अधिकरण गठित नहीं है।

घ) संचालन समिति की स्थापना प्रक्रिया में है।

ङ) एक खाद्य जांच प्रयोगशाला को अधिसूचित किया गया है।

च) खाद्य विश्लेषक उपलब्ध न होने से खाद्य नमूनों के विश्लेषण में समस्या उत्पन्न होती है।

17. पंजाब

क) खाद्य संरक्षा आयुक्त, 12 डी ओ, 22 ए ओ, 45 एफ एस ओ और 1 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित हैं।

ख) अभी तक 12236 लाइसेंस और 88507 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपीलीय अधिकरण गठित है।

घ) संचालन समिति गठित है।

ङ) एक खाद्य जांच प्रयोगशाला गठित है।

18. पुडुचेरी

क) खाद्य संरक्षा आयुक्त, 2 एओ, 1 डी ओ, 2 एफ एस ओ और 1 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित हैं।

ख) अभी तक 1317 पंजीकरण और 511 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपीलीय अधिकरण की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

घ) संचालन समिति गठित है।

ङ) एक खाद्य जांच प्रयोगशाला गठित है।

19. राजस्थान

क) खाद्य संरक्षा आयुक्त, 42 डी ओ, 88 एफ एस ओ, 48 ए ओ और 6 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित हैं।

ख) अभी तक 30383 लाइसेंस और 117287 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपीलीय अधिकरण की स्थापना प्रक्रिया में है।

घ) संचालन समिति गठित है।

ङ) छह खाद्य जांच प्रयोगशालाएं गठित हैं।

20. तमिलनाडू

क) खाद्य संरक्षा आयुक्त, 32 डी ओ, 32 ए ओ, 503 एफ एस ओ और 6 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित हैं।

ख) अभी तक 28251 लाइसेंस और 155555 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

ग) अभी तक अपीलीय अधिकरण गठित नहीं है।

घ) संचालन समिति का गठन प्रक्रियाधीन है।

ङ) छह खाद्य जांच प्रयोगशालाएं गठित हैं।

21. उत्तर प्रदेश

क) खाद्य संरक्षा आयुक्त, 75 डी ओ, 75 ए ओ, 287 एफ एस ओ और 3 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित हैं।

ख) अभी तक 38489 लाइसेंस और 319931 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

ग) अपीलीय अधिकरण गठित है।

घ) संचालन समिति गठित है।

ङ) कुल छह प्रयोगशालाओं में से पांच खाद्य जांच प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं।

कार्यसूची 5: एफ.एस.एस अधिनियम 2006 को लागू करने के संदर्भ में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति

सी ई ओ, एफ एस एस ए आई ने गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडू, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों की अपनी मासिक रिपोर्ट नियमित रूप से भेजने के लिए प्रशंसा की और अन्य राज्यों से भी अपनी वार्षिक प्रतिवेदन/रिपोर्ट तुरंत भेजने का अनुरोध किया।

नमूना संग्रह मामले पर यह सुझाव दिया गया था कि विश्लेषण के लिए संग्रहित नमूनों और विफल नमूनों (जो मिलावटी, असुरक्षित, घटिया, गलत ब्रांड के पाए गये आदि) की रिपोर्ट देने के लिए एक केंद्रीय पोर्टल बनाया जाए। चूंकि नमूना संग्रह का समग्र ध्यान खाद्य के जोखिम–आंकलन पर आधारित होता है, अतः संग्रहित डाटा का विश्लेषण प्राधिकरण द्वारा किया जाए और जोखिम आधारित निगरानी अवसंरचना को बेहतर निगरानी के लिए बनाया जा सके।

खाद्य संरक्षा आयुक्त, गोवा ने कहा कि गोवा में 15 प्रतिशत नमूनीकरण उपभोक्ता उन्मुखी था और विश्लेषण के बाद उपभोक्ताओं को इनके परिणामों को एफएसओद्वारा सूचित किया जाता है। इस मॉडल की प्रशंसा अध्यक्ष, एफ एस एस ए आई द्वारा की गई थी और उन्होंने अन्य राज्यों को भी इसके अनुसरण के लिए कहा। सी ई ओ, एफ एस एस ए आई ने सिफारिश की कि नमूनीकरण पर उपभोक्ता संगठनों को प्रशिक्षित किया जा सकता है।

कार्यसूची 6 – राज्यों में अभिहित अधिकारियों की नियुक्ति

सी ई ओ, एफ एस एस ए आई ने कहा कि राज्यों को तुरंत पूर्ण कालिक अभिहित अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए कदम उठाने चाहिए और चूंकि यह मुद्दा अभी माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की न्यायिक जांच के दायरे में है, अतः किसी भी प्रकार की देरी अभिहित अधिकारियों को कर्तव्यों के निर्वहन में कानूनी जटिलताओं को बढ़ावा देंगी। एफ एस एस ए आई पहले से ही इस मामले में राज्यों को पत्र लिख चुका है।

कार्यसूची 7 – राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एफ एल आर एस का कार्यान्वयन

ऊपर दी गई कार्यसूची श्री रघु गुड़ा, महाप्रबंधक, एनआईएसजी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इनकी प्रस्तुति से कुछ मामले उठे :

- कुछ राज्यों में नागरिक सेवा केन्द्रों के बावजूद, एफ एल आर एस की स्वीकृति कम है।
- यदि एफएलआरएस किसी राज्य में स्वीकृत है तो यह पूरी तरह से स्वीकृत होना चाहिए न कि आंशिक रूप से अपनाया जाना चाहिए।
- एफएलआरएस को लागू करने के लिए राज्यों के बुनियादी ढांचे
- कुछ राज्यों में एफ एल आर एस अभी शुरू होना है।

उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्रों पर डिजिटल हस्ताक्षर के मुद्दे पर विचार किया जा रहा है और यह जल्द ही शुरू हो जाएगा।

श्री महेश जगाडे, आयुक्त, खाद्य संरक्षा, महाराष्ट्र ने इसे आसानी से सुलभ बनाने के लिए ऑनलाइन लाइसेंसिंग और पंजीकरण के लिए एक एंड्रॉयड आधारित एप्लिकेशन को विकसित करने का सुझाव दिया। श्री रघु, एनआईएसजी ने सूचित किया कि एन आई एस जी और एफ एस एस ए आई इस रणनीति पर साथ काम कर रहे हैं।

कार्यसूची 8 – प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

सी ई ओ, एफ एस एस ए आई ने राज्यों द्वारा भेजे पात्रता मानदंडों के अनुसार, टी ओ टी प्रशिक्षण के लिए एफ एस एस ए आई को अधिकारियों के नामांकन भेजने के लिए राज्यों से कहा। खाद्य सुरक्षा नियामकों के नियमित प्रशिक्षण के लिए एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित होने हेतु राज्यों द्वारा संस्थानों के नाम सतत् आधार पर भेजे जाने चाहिए।

राज्य 5 दिनों के क्रैश कोर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नए भर्ती एफ एस ओ के नाम भेज भी सकते हैं, जब तक कि कालांतर संस्थानों की अधिसूचना राज्यों में नहीं हो जाए।

कार्यसूची 9 – कोडेक्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम मानकों के साथ भारतीय मानकों का अनुकूलीकरण

उक्त कार्यसूची मद पर चर्चा श्री एस दवे, सलाहकार, एफ एस एस ए आई द्वारा की गई जिन्होने सदस्यों को सूचित किया है कि खाद्य वस्तुओं के क्षैतिज मानकों के लिए ई डबल्यू जी द्वारा तैयार मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए वैज्ञानिक पैनलों/विशेषज्ञ समूहों के समक्ष रखा जा रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकीय मामले में समानता हो सकती है, और डिजाइन द्वारा गुणवत्ता की अवधारणा का एक और विस्तार था।

कार्यसूची 10 – अधिकारित जब्त उत्पादों का निपटान

निदेशक (प्रवर्तन), एफ एस एस ए आई ने भी उल्लेख किया कि एफ एस एस ए आई जब्त उत्पादों के निपटान पर मैनुअल बना रहा है जो राज्यों को परिचालित किया जाएगा।

कार्यसूची 11 – खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के खिलाफ अपील की समय अवधि

श्री बिमल कुमार दुबे, निदेशक (प्रवर्तन) ने इस एजेंडे पर चर्चा की और सूचना दी कि प्राधिकरण निर्णय लेगा और सभी राज्यों को इस बारे में बताया जाएगा।

कार्यसूची 12 – एफ एस एस ए आई द्वारा कार्यान्वित खाद्य आयात निकासी प्रणाली

डॉ संध्या काबरा, निदेशक (आयात), ने एजेंडे पर चर्चा की और बताया कि एफआईसीएस 2010 में शुरू हुआ था। 5वें चरण को 5 और बंदरगाहों जैसे कि तूतीकोरिन, कंदरा, मुंडला, काकीनाडा और विजाग में लागू करने का प्रस्ताव है एफआईसीएस की उपलब्धियाँ और आगे की कार्यवाही के बारे में कहा गया और बैठक में चर्चा की गई। यह बताया गया कि एफआईसीएस उपभोक्ताओं के लिए एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा और यह भी कहा गया कि एफ एस एस ए आई खाद्य निरीक्षण प्राथमिकता प्रणाली विकसित करने की प्रक्रिया में है।

कार्यसूची 13 – अध्यक्ष की अनुमति के साथ कोई भी अन्य मुद्दा

1. संगठनात्मक संरचना पर प्रस्तुति : श्री बिमल कुमार दुबे, निदेशक (प्रवर्तन), ने सी ए सी द्वारा गठित समिति द्वारा अंतिम रूप दिये संगठनात्मक संरचना को प्रस्तुत किया जिसे कि राज्यों और राज्यों के संभागीय जिला कार्यालयों में लागू किया जाना है।

2. राज्यों के लिए धन के प्रावधान और संवितरण की भी चर्चा की गई थी। श्रीमती विनोद कोतवाल, वित्तीय सलाहकार और निदेशक (कोडेक्स), एफ एस एस ए आई द्वारा यह सूचित किया गया था कि एक बार धनराशि प्राधिकरण को मंजूर कर दी जाए तब केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्यों को धनराशि जारी की जा सकती है। ये धनराशि राज्यों द्वारा पूरे किये गए कुछ बेंचमार्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर राज्यों के साथ हस्ताक्षर करने के बाद जारी की जाएगी। धन मंजूरी दो चीजों पर केंद्रित की जाएगी

    - खाद्य संरक्षा के बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण
    - प्रयोगशालाओं का बुनियादी ढांचा

बैठक से निकले कार्य बिंदुः

बैठक के दौरान विचार–विमर्श के आधार पर निम्नलिखित कार्य बिंदु सामने आएः

1. पेमेंट गेटवे समाधान के कार्यान्वयन के लिए राज्य सीधे या एफ एस एस ए आई के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा से संपर्क कर सकते हैं जैसा कि एफ एस एस ए आई द्वारा कार्यान्वित किया गया है।

2. श्री एस दवे, सलाहकार (एस), की अध्यक्षता में, एफ एस एस ए आई खाद्य व्यवसाय संचालकों के प्रशिक्षण के लिए रणनीति तैयार करने के लिए एक समिति गठित करेगा। समिति में खाद्य संरक्षा आयुक्त, उपभोक्ता संगठनों और इंडस्ट्री समिति के व्यक्ति सदस्य के रूप में होगें। उद्देश्य के लिए एफ बी ओ से प्राप्त सीएसआर धन के सर्वोतम उपयोग के मुद्दे की जांच समिति करेंगी।

3. अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक नियमित आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निगरानी गतिविधियों का संचालन करना है।

4. निगरानी गतिविधियों के भाग के रूप में सभी होने वाली गतिविधियों को देखने के लिए एफ एल आर एस की तर्ज पर एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली होने की व्यवहार्यता की जांच की जाएगी।

5. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मैन्युअल रूप से जारी लाइसेंस/पंजीकरण के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना है।

बैठक ख़त्म होने पर, अध्यक्ष, एफ एस एस ए आई ने सदन को बताया कि यह सी ई ओ की अंतिम सीएसी बैठक होगी क्योंकि वह शीघ्र ही सी ई ओ, एफ एस एस ए आई के पद को छोड़ेगे। अध्यक्ष, एफ एस एस ए आई ने सी ई ओ को अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में संबंधित पक्षों के साथ सहयोग के उनके योगदान के लिए सभी सदस्यों की ओर से धन्यवाद दिया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

अनुलग्नक–1

दिनांक 1 अगस्त, 2014 को गुलमोहर हॉल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में सीएसी के सदस्यों द्वारा आयोजित सीएसी की बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थेः

1. श्री के. चंद्रमौली, अध्यक्ष, एफ एस एस ए आई, दिल्ली
2. श्री डी. के. सामंतरे, सी ई ओ, एफ एस एस ए आई, दिल्ली
3. श्री एस दवे, सलाहाकार (मानक), एफ एस एस ए आई, दिल्ली
4. सुश्री विनोद कोतवाल, निदेशक (कोडेक्स), एफ एस एस ए आई, दिल्ली
5. श्री बिमल के. दुबे, निदेशक (प्रवर्तन/निगरानी) एफ एस एस ए आई, दिल्ली
6. डा मीनाक्षी सिंह, वैज्ञानिक (मानक), एफ एस एस ए आई, दिल्ली
7. श्री प्रदीप चक्रबर्ती, निदेशक (प्रशासन/आईइसी/मंडल), एफ एस एस ए आई, दिल्ली
8. श्री संजय गुप्ता, एडी (प्रवर्तन), एफ एस एस ए आई, दिल्ली
9. श्री पी, कार्तिकेयन, एडी (क्यूए), एफ एस एस ए आई, दिल्ली
10. डा. बिशन चंद, एडी (प्रशिक्षण), एफ एस एस ए आई, दिल्ली
11. श्री बी.जी. पांडियन, एडी (आयात), एफ एस एस ए आई, दिल्ली
12. श्री राकेश कुलश्रेष्ठ, जेडी (एम), एफ एस एस ए आई, दिल्ली
13. श्री टी.डी. प्रशांत राव, डीडी (एफए), एफ एस एस ए आई, दिल्ली
14. श्री ए. रस्तोगी, एडी (निगरानी), एफ एस एस ए आई, दिल्ली
15. डा. एस. के. पाल, आयुक्त खाद्य संरक्षा, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
16. श्रीमती एम. हैग्जर, आयुक्त खाद्य संरक्षा, असम
17. श्री समिरन बमराह, खाद्य संरक्षा अधिकारी, असम
18. डा. के. एस. राणा, डी ओ, चंडीगढ़
19. श्री के. के. जिंदल, आयुक्त खाद्य संरक्षा, दिल्ली
20. श्री सोहन सिंह कनावत, विशेष आयुक्त खाद्य संरक्षा, दिल्ली
21. श्री सुमित कुमार गुप्ता, डी ओ, दिल्ली
22. श्री सलीम ए. वेलजी, आयुक्त खाद्य संरक्षा, गोवा

23. श्री राज कुमार सिंगला, संयुक्त आयुक्त, हरियाणा

24. श्री रामेश्वर शर्मा, निदेशक, स्वास्थ्य संरक्षा और विनियामक, हिमाचल प्रदेश

25. डा बलदेव राज शर्मा, नियंत्रक, जम्मू एवं कश्मीर

26. डा एस. एन. न्नजुंदाह, मुख्य खाद्य विश्लेषक, कर्नाटक

27. श्री के. अनिल कुमार, संयुक्त आयुक्त, केरल

28. श्री देवेंद्र कुमार वर्मा, वरिष्ठ एफ एस ओ, मध्य प्रदेश

29. श्री महेश जगाडे, खाद्य संरक्षा आयुक्त, महाराष्ट्र

30. श्री के. वी. सांखे, संयुक्त आयुक्त, महाराष्ट्र

31. डा के. यू. मेथेकर, वरिष्ठ एफ एस ओ, महाराष्ट्र

32. श्री एस. एन. संगमा, उपायुक्त, मेघालय

33. डा. चुबतोशी, संयुक्त निदेशक, नागालैंड

34. डा. बिकास पटनायक, उपायुक्त, ओडिसा

35. डा. जी. एल. उपाध्याय, खाद्य संरक्षा उपायुक्त, पुडीचेरी

36. श्री हुसन लाल, आयुक्त, खाद्य, पंजाब

37. डा. आदित्य अत्रेय, डी ओ, राजस्थान

38. डा. के. अमरेन्द्र रेड्डी, निदेशक, तेलंगाना

39. श्री कुमार जयंत, आयुक्त, खाद्य संरक्षा, तमिलनाडु

40. श्री हेमंत राव, आयुक्त खाद्य संरक्षा, उत्तर प्रदेश

41. श्री आर. एस. रावत, नामित अधिकारी, उत्तर प्रदेश

42. श्री जार्ज चेरियन, निदेशक, सीयूटीएस इंटरनेशनल, जयपुर

43. श्री देसीकन, फाउंडर ट्रस्टी, कसंर्ट एवं कन्जयूमर एसोसियेशन ऑफ इंडिया

44. डा. एस. पी. वेसीरेड्डी, कार्यकारी अध्यक्ष, विमटा लैब्स, हैदराबाद

45. सुश्री मोनिका रावत, वरिष्ठ सहायक निदेशक, फिक्की, दिल्ली

46. श्री अनिता राव, उप–सचिव, कृषि एवं सहयोग विभाग

47. श्री एस. के. पांडे, सहायक निदेशक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, दिल्ली

48. सुश्री रजनी अग्रवाल, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, दिल्ली

49. श्री आर मुथुराज, निदेशक, वाणिज्य मंत्रालय, दिल्ली

50. डा. तरसेम चंद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दिल्ली

51. श्री आर. के. गुप्ता, कृषि मंत्रालय, दिल्ली

52. श्री के. आर. एस. अय्यर, बैंक ऑफ बड़ौदा, दिल्ली

53. श्री एस. के. गुप्ता, बैंक ऑफ बड़ौदा, दिल्ली

54. श्री जे. के. दास, बैंक ऑफ बड़ौदा, दिल्ली

55. श्री आई.ए न. मूर्ति, महाप्रबंधक, एनएसआईजी, हैदराबाद

56. श्री रघु गुडा, महाप्रबंधक, एनआईएसजी, हैदराबाद

* यह नोट किया जा सकता है कि प्रतिभागियों के नाम उपस्थिति सूची में दर्ज क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए गए हैं और इनमें वरिष्ठता क्रम का अनुसरण नहीं किया गया है। नाम की वर्तनी में यदि कोई भूल है, तो उसके लिए खेद है।